न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पिठासीन अधिकारी–अनिता धरतवाल आरएएस

राजस्व वाद सं. 13/2023

1. डालूराम पुत्र खिराजाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घन्टियालबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू ।

............प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक

उपस्थिति– 1. श्री रामसिंह राठौड एडवोकेट व अमरसिह राठौड़ एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. राजपेरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक 04/10/2023

दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से खेत खसरा सं. 736/515 तादादी 1.5555 है0 वाके रोही घन्टियाल बडी तहसील बीदासर जिला चूरू मे वादी के कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग मे चली आ रही है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादगत भूमि की खातेदारी डालूराम पुत्र खेराजाराम जाति मेघवाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी दर्ज है जो अशुद्व है वादी डालूराम के पिता खिराजाराम का स्वर्गवास हुआ उस वक्त राजस्व कर्मचारियो ने भूल वंश वादी के पिता का नाम खेराजाराम दर्ज कर दिया जबकी वादी के पिता का सही व शुद्व नाम खिराजाराम था। वादी ने अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड पेन कार्ड राशन कार्ड, मनरेगा जोब कार्ड आदि दस्तावेजात मे वादी के पिता का नाम खिराजाराम अंकित है और वादी अपने पिता का सही व शुद्व नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर वादी अपने पिता का नाम खिराजराम घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड के रहते वादी को सरकारी लाभ से वंचित होना पडता है। वादी ने दिनांक 31/03/2023 को प्रतिवादी से अपने पिता का सही नाम खिराजाराम दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने इंकार कर दिया इस कारण वादी को यह दावा न्यायालय मे पेश करना पडा।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जबाब पेश कर कथन किया कि वादी वादपत्र को स्वयं साबित करे ओर राजहित निहीत प्रतित नहीं हो रहा है।

वादी ने मौखिक साक्ष्य मे अपने स्वयं पीडब्लू 01 के रूप मे न्यायालय मे बयान करवाये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 01 असल आधार कार्ड प्रदर्श 02 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 02 अ, परिवार राशन कॉड प्रदर्श 03 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 03 अ, जॉब कार्ड प्रदर्श 04 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 04 अ, पेन कार्ड प्रदर्श 05 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 05 अ दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

लगातार..........2

बहस अंतिम दावा सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने दावे मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया की वादी का खेत खसरा सं. 736/515 तादादी 1.5555 है0 वाके रोही ग्राम घन्टियाल बडी तहसील बीदासर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादी डालूराम के पिता का नाम खेराजाराम गलत व अशुद्व चला आ रहा है वादी ने अपने स्वयं बयानो मे भी कथन किया है कि मेरे पिता का नाम खिराजाराम सही है तथा वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 01 से लगायत 05 अ दस्तावेजात पेश किये है उक्त दस्तावेजात मे वादी डालूराम के पिता का नाम खिराजाराम अंकित है वादी डालूराम के पिता का नाम खेराजाराम के स्थान पर खिराजाराम किया जाना कानूनन आवश्यक है। पत्रावली का हमने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया वादी स्वयं के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 01 असल आधार कार्ड प्रदर्श 02 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 02 अ, परिवार राशन कोड प्रदर्श 03 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 03 अ, जॉब कार्ड प्रदर्श 04 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 04 अ, पेन कार्ड प्रदर्श 05 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 05 अ दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी डालूराम के पिता का नाम खिराजाराम है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादी डालूराम के पिता का नाम खेराजाराम अशुद्व है। वादी डालूराम के पिता का नाम खेराजाराम के स्थान पर खिराजाराम किया जाना न्याय संगत है। वादी का दावा स्वीकार योग्य है।

अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से डिकी किया जाकर प्रतिवादी राजस्थान सरकार तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि वादी के खेत खसरा नं. 736/515 तादादी 1.5555 है0 वाके रोही ग्राम घन्टियालबडी तहसील बीदासर के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी डालूराम के पिता का नाम खेराजाराम के स्थान पर खिराजाराम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा दावा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर